

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिवाना
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान- 2021 शिविर स्थल - मोकलसर)

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती कुसुमलता चौहान उपखण्ड अधिकारी सिवाना
वादी :-

लालाराम पुत्र सांवलचन्द्र जाति घांची निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. शान्तिदेवी पत्नी सांवलचन्द्र जाति घांची
2. अमित कुमार पुत्र सांवलचन्द्र जाति घांची
3. स्व. प्रकाश पुत्र सांवलचन्द्र जाति घांची
- 3/1 यश भाटी पुत्र प्रकाश जाति घांची
- 3/2 वन्दना देवी पत्नी प्रकाश जाति घांची निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाडमेर
- 4 राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

दावा पत्र बाबत घोषणा एवं निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :- 56 /2021

निर्णय दिनांक :-12.10.2021 (केम्प-ग्राम पंचायत मुख्यालय मोकलसर)

वादीग की ओर से वादीगण वकील श्री कैलाशपुरी व प्रतिवादीगण की ओर से श्री जयप्रकाश रामदेव की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख को श्रीमती कुसुमलता चौहान उपखण्ड अधिकारी, सिवाना के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि- वादीगण का वाद स्वीकार कर वाद पत्र माफिक राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' के अनुरूप तहसीलदार सिवाना आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में डिक्री अनुसार हक हिस्सा दर्ज करे। खर्चों पक्षकारन अपना-अपना वहन करे।

आज तारीख 12.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(कुसुमलता चौहान)

शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी सिवाना
प्रशासन गांव के संग अभियान- 2021

दिनांक :- 27.10.21

क्रमांक: वाचक/2021/7270

प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।

भूमिधारक तहसीलदार, सिवाना



(कुसुमलता चौहान)

शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी सिवाना
प्रशासन गांव के संग अभियान- 2021